

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2000/पौष 15, 1921 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 4
No. 3] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2000/PAUSA 15, 1921 [N.C.T.D. No. 4

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विशेष सचिव (कराधान)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2000

सं. फा. III-2/आ.वि.क./96/स्था. शाखा/11759.—दिल्ली विक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल विक्री कर आयुक्त को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री महेन्द्र कुमार	सहायक आयुक्त विक्री कर
2.	श्री ए. एम. ओवराय	—वही—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर
पं. के. त्रिपाठी, विशेष सचिव

SPECIAL SECRETARY (TAXATION)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2000

No. F. III-2/CST/Estt./96/11759.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 9 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (No. 43 of 1975), the Lt. Governor, Govt. of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint with immediate effect the following officers to assist the Commissioner of Sales Tax in execution of the function under the aforesaid Act :—

S. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. Mahender Kumar	Assistant Commissioner
2.	Sh. A.S. Oberoi	-do-

By Order and in the name
of Lt. Governor, Govt. of
NCT of Delhi.

P. K. TRIPATHI, Spl. Secy.

वित्त (लेखा) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2000

सं. फा. 6/5/78-वित्त लेखा/खंड-2.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की दिनांक 14 जुलाई, 1995 की अधिसूचना संख्या फा. 6(5)78/-वित्त लेखा-I तथा दिनांक 17 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. फा. 6(5)78/-वित्त लेखा खंड-II, व दिनांक 16 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना सं. फा. 6(5)78/-वित्त लेखा खंड-2 द्वारा यथा-संशोधित दिनांक 21 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 6(5)78/-वित्त लेखा-II के अनुसार जारी की गई, उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहत कोष (आय तथा व्यय विनियमन) नियमावली, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अर्थात् :—

पैरा 4 में आए शब्द "अवर सचिव वित्त (लेखा)" और "आर्थिक सहायता," के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे :—

"या उप सचिव वित्त (लेखा)"

आदेशानुसार

वी.पी. गुप्ता, उप-सचिव

FINANCE (ACCOUNTS) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2000

No. F. 6(5)/78-Fin. (A/Cs)/Vol. II.—The Lieutenant Governor, Delhi is pleased to make the following amendments in the Lieutenant Governor/Chief Minister Relief Fund (Regulation of Income & Expenditure) Rules, 1994 issued vide this Government's notification No. F. 6(5)/78-Fin. (A/Cs)/Vol. II dated 21st November, 1994 as amended vide Notification No. F. 6(5)/78-Fin. (A/Cs)/Vol. I dated 14th July, 1995; Notification No. F. 6(5)/78-Fin. (A/Cs) Vol. II dated 17 November, 1997 and Notification No. F. 6(5)/78-Fin. (A/Cs)/Vol. II dated 16th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

1. In the 7th line of para '4', the following be inserted between the words "the Under Secretary Finance (A/Cs)" and "will":—

"or Deputy Secretary Finance (A/Cs)"

By order.

V.P. GUPTA, Dy. Secy.